

मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नयिम-2018 में संशोधन

चर्चा में क्यों?

11 मई, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नयिम-2018 में संशोधन किया है।

प्रमुख बंदि

- संशोधित नयिम के अनुसार अब शासकीय वदियालय के वदियार्थी को सभी शासकीय एवं नजिी महावदियालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये स्वीकृत कुल सीट्स में से 5 प्रतशित सीट्स आरक्षणति की गई हैं।
- महिला अभ्यर्थी को सभी महावदियालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतशित आरक्षण, दवियांग अभ्यर्थी को सभी महावदियालयों में सभी पाठ्यक्रम में 5 प्रतशित तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनकि अभ्यर्थी को केवल शासकीय महावदियालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये कुल सीट्स का 3-3 प्रतशित नरिधारति कयिा गया है।
- संशोधति नयिम के अनुसार प्रवरग को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनकि, दवियांग, अनवासी भारतीय प्रवरग एवं शासकीय वदियालय के वदियार्थी शामिल हैं।
- इसी प्रकार जोड़े गए उप-नयिम अनुसार शासकीय वदियालय से अभपिरेत है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालति शासकीय वदियालय के वदियार्थियों में ऐसे वदियार्थी, जिन्होंने शासकीय वदियालय में कक्षा-6 से 12वीं तक नयिमति अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधनियिम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा-1 से 8 तक नजिी वदियालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय वदियालय में कक्षा-9 से 12वीं तक नयिमति अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को शामिल कयिा गया है।
- संशोधन नयिमानुसार स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) के लिये शासकीय वदियालय वदियार्थी प्रवरग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधति वभाग के ज़िला शिक्षाधिकारी/ज़िला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी कयिा गए, इस आशय के प्रमाण-पत्र को मूल प्रतति में प्रस्तुत करना अनवार्य होगा कि अभ्यर्थी नयिम-2ब की अपेक्षा पूरण करता है।